अति–आवश्यक

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 15(4) सांख्यिकी / निकाशि / 2012 / 2997 दिनांकः 11-01-2013 / 15

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर भीलवाडा, नागौर,टोंक, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू, जयपुर, झून्झूनु, अलवर, सीकर, दौसा, जोधपुर, पाली, सिरोही, बाडमेर, जालौर जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, डूगरपुर, प्रतापगढ, राजसमंद, कोटा, बूंदी, झालावाड, बांरा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर,

विषय :–निजी महाविद्यालयों की वर्ष 2012–13 की सांख्यिकी सूचना भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके महाविद्यालयों को जिले में चल रहे निजी महाविद्यालयों की सूची के साथ वर्ष 2012–13 की सांख्यिकी सूचना भरकर भिजवाने हेतु रिक्त पुस्तिकायें भिजवाई गयी थी।संभवतया आपने अपने जिले के सभी निजी महाविद्यालयों को रिक्त पुस्तिकायें उपलब्ध करवा कर निर्देश दिये होगे की इन्हे भरकर 20.10. 2012 तक निदेशालय भिजवा दें।

किन्तु संलग्न सूची के अनुसार निजी महाविद्यालयों की सांख्यिकी सूचना अभी तक अप्राप्त है। इस सबध में आपको निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा सत्र 2013–14 के पूर्व विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन हेतु सांख्यिकी की अत्यन्त आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित महाविद्यालयों से सम्पर्क कर अविलम्ब सांख्यिकी पुस्तिकाओं में सूचना भरकर व्यक्तिशः निदेशालय भिजवाने हेतु निजी महाविद्यालय को निर्देश करें एवं आवश्यक होने पर विशेष वाहक द्वारा भी यह कार्य सम्पादित करवाये । यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रकृति का है। अतः इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतते हुये विशेष जिम्मेदारी के साथ निदेशालय भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य स्तर पर इन्हे संकलित कर विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले विभाग के, प्रशासनिक प्रतिवेदन को तैयार किया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

संयुक्त निदेशक

क्रमांकः एफ 15(4) सांख्यिकी / निकाशि / 2012 / 2997-3002 दिनांकः 11-01-2013 15-01-2013

प्रतिलिपि :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा,राजस्थान.जयपुर।
3 संयुक्त निदेशक (अनुदान) को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न सूची के अनुसार साख्यिकी सूचना नही भिजवाने वाले महाविद्यालयों को नियमों में दंडित करने का प्रावधान है तो कार्यवाही करावें।
4 सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कालेज शिक्षा विभाग,जोधपुर, उदयपुर,कोटा,अजमेर, बीकानेर एवं जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संभाग से जिन महाविद्यालय (सूची संलग्न) ने सूचना नहीं भिजवाई गयी है उनसे सम्पर्क कर सांख्यिकी सूचना भिजवायें।
5 प्राचार्य, निजी महाविद्यालय राजस्थान (संलग्न सूची) को निर्देशित किया जाता है कि साख्यिकी पुस्तिकाओं में सूचना भरकर अविलम्ब निदेशालय को व्यक्तिशः भिजवाये।
6. डा धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता, वेबसाइट प्रभारी को भेजकर लेख है कि पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक